फर्द अहकाम

नियम 26

अदालत.........सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक..............मुकाम.....................भादरा..

....रामनिवास ....बनाम्.. रामकुमार आदि ....

किस्म मुकदमा.............212 आरटीएक्ट ....न० 17/20.......सन्............... 2020..............................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
24.06.2020	प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट का अधिवक्ता श्री मुशीराम गोस्वामी के द्वारा पेश किया गया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई बहस पर मनन करने एवं रिकार्ड का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में बनता है अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि वे वादाधीन रकबा तहसील भादरा के वाके रोही मौजा मलसीसर के खाता सं0 185/191 के खसरा सं0 109/1, 669/2 कुल 9.8325है0 व रोही मोजा मलसीसर के खाता सं0 217/218 के खसरा सं0 69/1, 71/1 कुल 1.903है0 प्रार्थी के हक हिस्से तक की भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। यह अस्थाई निषेधाज्ञा केवल दिनांक 05.08.2020 तक है। आगामी आदेश सुनवाई पश्चात पृथक से जारी होंगे। आज से पूर्व पंजीकृत बैयनामे पर यह लागू नहीं। बैंक ऋण (रोडा एक्ट), रास्ता, खाला विवाद, वाप्कोस कार्य DILRMP पर उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी। आगामी तारीख पेशी पर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड एव सामान्य नोटिस प्रस्तुत नहीं करने पर तथा प्रार्थी प्रतिनिधि उपस्थित न होने पर अस्थाई निषेधाज्ञा की अवधि नहीं बढाई जावेगी। इस बाबत कोई उज्र एतराज हो तो अप्रार्थीगण असालतन या वकालतन हाजिर होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश करें कि क्यों न प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अस्थाई आदेश ता फैसला वाद कन्फर्म कर दिया जावे तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगण क तलबी हेतु रजिस्टर्ड एवं सामान्य नोटिस भिजवाए जाकर तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 05.08.2020. को पेश हो। sd/- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)भादरा	
5/8/20	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी ......आज कार्य में व्यस्त थे दिनांक 25/8/20.. को पेश हो। sd/-	

Scanned with CamScanner

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
14/12/21	पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान कालासर में पेश हुई। वकुलाए करि० उप०। मूल दावा डिक्री होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 इसी स्टेज पर खारीज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	

(शिविर प्रभारी)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा
प्र.गा. के संग अ.-2021
केम्प ....